तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.04.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्र० पत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण को adjudicate करने के लिए इन तीन बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है। यहां सुविधा के लिए प्रथम 02 बिन्दुओं का adjudication एक साथ कर रहे हैं __प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का सन्तुलन:-__ आर्थि० प्रार्थिया का कथन है कि ग्राम सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख०न० 1430 रकबा 1.0745 hact. प्रार्थिया के खाते व कब्जे की आराजी है जिसका अप्रार्थीगण से कोई सम्बन्ध नहीं है। अप्रार्थीगण बलपूर्वक प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी में कब्रिस्तान बनाकर अपने मृतकों को दफनाने पर आमादा है जिससे प्रार्थिया के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा, अधिकारों से जबरन वंचित किया जा रहा है। प्रार्थिया के अधिकारों के संरक्षण के लिये स्थगन जारी किया जाना आवश्यक है। आर्थि० अप्रार्थीगण की विरोध करते हुये कथन किया है कि प्रार्थिया का वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा है और ना ही विक्रेता खातेदार का कब्जा रहा था कब्जा लेने के लिये ही प्रार्थिया ने इसी court में u/s 183 RT Act एक अन्य दावा पेश कर रखा है। प्रार्थिया द्वारा बिना कब्जे की कब्रिस्तान की भूमि को केवल कागजों में खरीदा है जबकि यह रियासतकाल से ही मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान है और अनेकों कब्रें ... पर ... के पति व परिवारजन ... व्यक्ति हैं जो ऐसी ... लेकर फिर दादागिरी से कब्जा लेने प्रयास करते हैं। विक्रेता शब्बीर व जोहार पिता अब्दुल मली	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ... झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:40:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के पिता अब्दे अली व उसके पूर्वजों की सहमति से ही बहुत वर्षों से यहां लोगों को दफनाया जाता रहा है अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

बहस उभयपक्ष के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सुनेल की हाल जमाबंदी संवत 2073-76 के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख०नं० 1430 रकबा 1.0749 hact प्रार्थिया फेमिदा बी की खातेदारी में दर्ज है अर्थात प्रार्थिया Recorded Khateedar है। प्रार्थिया ने यह भूमि पूर्व खातेदार शब्बीर, जौहर पिस० अब्दे अली बोहरा से वर्ष 2019 में क्रय करने का कथन किया है। प्रार्थिया का कथन है कि अप्रार्थीगण जबरन कब्जा कर यहां कब्रिस्तान बनाने पर आमादा है लेकिन स्वयं प्रार्थिया ने कब्जा लेने के लिए u/s 183 RT Act एक दावा सं० 47/2020 उनवान फेमिदा बी बनाम अब्दुल खलील इस न्यायालय में पेश कर रखा है अर्थात प्रार्थिया का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 08/07/2016 के अनुसार ख०नं० 1430 रकबा 1.0749 hact भूमि शब्बीर भाई, जौहर पि० अब्दे अली बोहरा के खाते दर्ज थी और मौके पर खलील खां, कदीर खां पिता चांद खां का कब्जा था। ख०नं० 1430 रकबा 4-05 बीघा में से 02 बिस्वा भूमि व ख०नं० 1429 की 02 [illegible] कुल 04 बिस्वा भूमि पर कब्रि[illegible] कब्रिस्तान मौजूद होना बताया है जिसमें [illegible] 20-25 कब्रें बनी हुई थी वर्ष 2016 में भी शब्बीर, जौहर पि० अब्देअली तथा खलीखां व कदीर खां पिता चांद खां के मध्य भी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:40:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीखा क्रम	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

कब्जा लेने सम्बन्धी वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन था। उस प्रकरण में क्या निर्णय हुआ - इसकी पत्रावली किसी भी पक्ष द्वारा इस प्रकरण में पेश नहीं है। प्रार्थिया द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि फकीर मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रार्थिया के क्रय करने के बाद यहां जबरन कब्रिस्तान बनाया गया हो। जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि पर फकीर समुदाय की कब्रे वर्ष 2016 से भी कई वर्षों पूर्व की बनी हुई है।

यह सही है कि किसी खातेदार की निजी भूमि पर बिना विधिक अनुमति से बनाया गया कोई भी निर्माण - चाहे देवी-देवताओ का चबूतरा हो, मंदिर/मस्जिद हो या कब्रिस्तान - अतिक्रमण की श्रेणी में आता है और ऐसी स्थिति में भूमि के मालिक के Khatedari Rights एवं संपत्ति के अधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता देकर ऐसे अवैध अतिक्रमण को हटाने या रोकने के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 में निजी या सार्वजनिक भूमियों से अनाधिकृत धार्मिक ढांचो को हटाने के दिशा निर्देश जारी किये है लेकिन यदि वह धार्मिक ढांचा वर्षों पुराना हो और वहां लोगो द्वारा पूजा-अर्चना या धार्मिक क्रिया कलाप नियमित रूप से किये जाते रहे है तो लोगो की धार्मिक भावनाओ को ध्यान में रखा जाना भी आवश्यक है अन्यथा कानून-व्यवस्था खराब हो सकती है।

उपरोक्त विवेचन के [illegible] आधार पर वादग्रस्त भूमि में [illegible] कब्रिस्तान को छोड़कर, [illegible] प्रकरण प्रथम दृष्टया व सुविधा संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में जाहिर होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:40:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म
	(ग) अपूरणीय क्षति :- हस्तगत प्रकरण में ख0नं0 1429 रकबा 0-09 बीघा में से 0-02 बीघा एवं ख0नं0 1430 रकबा 0-05 बीघा में से 0-02 बीघा यानी कुल 0-04 बीघा (04 बिस्वा) भूमि को जहाँ कब्र है फकीर रघुराय की कब्र बना होना जाहिर होता है और लोग धार्मिक क्रिया कलाप करते हैं — को छोड़कर शेष भूमि पर यदि अवरन कोई निर्माण या धार्मिक ढांचा बनाकर खातेदारी अधिकारों का अतिक्रमण कर भूमि खुर्द-बुर्द करते है तो प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। 8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तथा विभिन्न न्यायालयों में लंबित या पूर्व में निर्णीत वादग्रस्त भूमि से संबंधित प्रकरणों के पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के आधार पर प्रार्थिया का प्रा०पत्र u/s 212 RTA आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को तर्कीसलामुलवाड़ इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थिया के खाते की वादग्रस्त भूमि पर कोई भी नया निर्माण / अतिक्रमण नहीं करें। अवरन (04 बिस्वा भूमि को छोड़कर) प्रवेश नहीं करें। कब्रिस्तान वाली करीब 04 बिस्वा भूमि को प्रार्थिया भी खुर्द बुर्द या अंतरित नहीं करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ सलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible], जिला झालावाड़ (राज०)	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:40:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner